न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/26/2021 प्रार्थना पत्र — दायर दिनांक 02.09.2021

उनवान

1. खुराज पुत्र वरदा जाति भील आयु वयस्क निवासी संडियारडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
——प्रार्थी

बनाम

1. कालु पुत्र सोराम जाति भील आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)। (मृत्तक के बजाय)
   1/1— चम्पालाल पिता कालु जाति भील आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।
2. नारु पुत्र सोराम जाति भील आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. मेगा पुत्र सोराम जाति भील आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)। (मृत्तक के बजाय)
   3/1— श्यामलाल पुत्र मेघा जाति भील आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
   3/2— नौसर पुत्र मेघा जाति भील आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
   3/3— रमेश पुत्र मेघा जाति भील आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
   3/4— कमला विधवा मेघा जाति भील आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
   3/5— नीमा पुत्री मेघा जाति भील आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़।
5. भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

——अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री पवन शर्मा —प्रार्थी
अधिवक्ता श्री नंद किशोर चौहान —अप्रार्थी संख्या 2, 3

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट0 :—

निर्णय दिनांकः 22.04.2025

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट के तहत निम्न निवेदन के साथ प्रस्तुत किया कि यह कि यह कि ग्राम ताराखेडी पटवार हल्का दामाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ के खाता संख्या 213 की आराजी संख्या 23 मीन रकबा 0.62 हैक्टर किस्म बारानी 2 कुल किता 1 कुल रकबा 0.62 हैक्टर स्थित है जो मुझ प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड खातेदारी में दर्ज होकर प्रार्थी काबिज काश्त है। चिरकाल से मुझ प्रार्थी के द्वारा काश्त की जा रही है। उक्त वर्णित आराजीयात पर आने—जाने गाडी, बेल, मवेशी, फसल, टेक्टर लाने ले जाने का रास्ता प्रार्थी संख्या 1 से लगायत 3 के खातेदारी की आराजी संख्या 12 के दक्षिणी दिशा से व बिलानाम सरकार आराजी संख्या 1041/23 के दक्षिणी दिशा से होकर है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी अपने पुर्वजों के समय से करता चला आ रहा है। प्रमाणित जमाबन्दी व नक्शाट्रेस साथ संलग्न है।

यह कि प्रार्थी आराजी संख्या 12 व आराजी संख्या 1041/23 के दक्षिणी दिशा के हिस्से से होकर अपनी आराजी संख्या 23 में अपने पुर्वजों के समय से रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। मगर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 1 से 3 यदा कदा रास्ता बन्द करने की धमकी देते है। राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात को विकसित नहीं कर पा रहा है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

यह कि प्रार्थी की आराजी संख्या 23 मीन में आने जाने गाडी, बैल, टेक्ट्रर, फसल लाने ले जाने के लिये 10 मीटर चौडा रास्ता उक्त वर्णित आराजीयात संख्या 12 व आराजी संख्या 1041/23 के दक्षिणी दिशा से दिलाया जाना आवश्यक है। नजरी नक्शे में लाल स्याही से वर्णित रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की आराजी में आने जाने के लिये और अन्य कोई रास्ता नही है अतः उक्त रास्ता प्रार्थी के नाम खातेदारी राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी विधि अनुसार रास्ता भूमि मुल्य अदा करने को तत्पर है।

यह कि दिनांक 25.08.2021 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को आराजी पर आने जाने के रास्ते को बन्द करने की धमकी दी व हल्का पटवारी से सम्पर्क किया पटवारी साहब ने न्यायालय से आदेश लाने को कहा जिससे बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 25/08/2021 से पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा प्रार्थना पत्र कॉलम संख्या 1 में वर्णित खाता संख्या 213 की आराजी संख्या 23 मीन में आने जाने गाडी, बैल, फसल, मवेशी, लाने ले जाने के लिए 10 मीटर चौडा रास्ता आराजी संख्या 12 व आराजी संख्या 1041/23 के दक्षिणी दिशा से प्रार्थी की आराजीयात तक लम्बा रास्ता प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान करावे विधि अनुसार प्रार्थी भूमि शुल्क अदा करने को तत्पर है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1/1 के विरूद्ध दिनांक 29.08.2023 व अप्रार्थी संख्या 3/1 के विरूद्ध दिनांक 18.06.2024 को बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2, 3/2 से 3/5 की ओर से अधिवक्ता श्री नंद किशोर चौहान का अधिकार पत्र पूर्व में प्रस्तुत जो शा0फा0 है। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से दिनांक 19.11.2024 को जवाब बन्द किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार कपासन से मौका रिपोर्ट दिनांक 03.01.2024 से प्राप्त होकर दिनांक 23.01.2024 को शा0फा0 की गई। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कपासन से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :—

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)
   प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी निजी ताराखेडी की आराजीयात पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है।
2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण —पत्र प्रस्तुत करावें।
   तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम है।
3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।
   संलग्न है।
4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।
   सहमति के प्रयास किये परन्तु सहमति नहीं बनी।
5. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)
   लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित अनुसार
   आ0नं0 12 में से 240 वर्गमीटर (48 मी0 लम्बाई × 5 मी0 चौडाई)
   आ0नं0 1041/23 में से 50 वर्गमीटर (10 मी0 लम्बाई × 5 मी0 चौडाई)
   कुल राशि डी0एल0सी0 दर 4891 रूपये प्रति आरी से आ0नं0 12 में से 240×4891 = 11739 रूपये का दुगुना 23478 रूपये बनते है।
   आ0नं0 1041/23 में से 50×4891 = 2446 रूपये का दुगुना 4892 रूपये बनते है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा मौखिक बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट में अंकित रास्ता ही निकटतम रास्ता है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर रास्ता उपलब्ध कराया जावें।

हमने की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उक्त पत्रावली अवलोकन, उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा ताराखेडी पटवार हल्का दामाखेडा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी की आराजी नं0 23 मीन रकबा 0.62 हैक्ट0, स्थित है, पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 12 तथा बिलानाम आराजी संख्या 1041/23 से रास्ता चाह रहे है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 1041/23 से रास्ता चाह रहे है वह वर्तमान में बिलानाम पड़त 2 दर्ज है। इस हेतु राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 से कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्तें कायमी बाबत् बिलानाम सरकार भूमि में से 30 फीट तक रास्ता दिया जाने का प्रावधान किया गया है। तहसीलदार कपासन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः मौजा ताराखेडी की आ0 सं0 23 मीन पर जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिये सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा ताराखेडी पटवार हल्का दामाखेडा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित हाल आराजी न0 23 मीन में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 से 3 की मौजा ताराखेडी की आ. न. 12 तथा बिलानाम आराजी संख्या 1041/23 है। जिससे रास्ते का प्रस्तावित रकबा आ0नं0 12 में से 240 वर्गमीटर (48 मी0 लम्बाई × 5 मी0 चौडाई) तथा आ0नं0 1041/23 में से 50 वर्गमीटर (10 मी0 लम्बाई × 5 मी0 चौडाई) जिसका दिनांक 21.10.2022 के मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता कायम किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के अनुसार कुल राशि डी0एल0सी0 दर 4891 रूपये प्रति आरी से आ0नं0 12 में से 240×4891 = 11739 रूपये का दुगुना 23478/– रूपये अक्षरे तेईस हजार चार सौ अठत्तर रूपये राशि जो कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को राजस्व रेकार्ड में हक हिस्से अनुसार देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के नाम हक हिस्से अनुसार डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशी अदायगी हेतु 30 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधी के भीतर–भीतर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन से प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें। तथा इसी प्रकार रास्ते मे आने वाली भूमि की राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के अनुसार डीएलसी दर 4891 रूपये प्रति आरी के हिसाब से आ0नं0 1041/23 में से प्रस्तावित रास्ते की कुल मालियत 50×4891 = 2446 रूपये का दुगुना 4892 रूपये अक्षरे चार हजार आठ सौ बानबे रूपये राशि प्रार्थीगण से वसूल कर राजकोष में जरिये चालान क्षतिपूर्ति के रूप में जमा करवायी जावें। उक्त राशि राजकोष में जमा कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन, जिला-चित्तौडगढ